# कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर (म.प्र.)

क्र. 08/लेखा/21 बुरहानपुर, दिनांक 25/09/21

## //परिपत्र//

स्थापना जिला न्यायालय बुरहानपुर में यह देखने में आया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साधारण सर्दी, जुखाम में भी बिना अवकाश स्वीकृत कराये लम्बी छुट्टी पर चले जाते हैं एवं आने के पश्चात् अपूर्ण चिकित्सीय प्रपत्र या अक्षम डॉक्टर का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते हैं, यह एक गलत परम्परा है। अवकाश के संबंध में कर्मचारी जब आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, तब पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी इस बात की तस्दीक करे कि वास्तविक कारण से अवकाश लिये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नही, इस संबंध में अपनी विस्तृत टीप/अनुशसा लेख करें, तब ही कर्मचारी की छुट्टी स्वीकृत की जा सकेंगी।

ऐच्छिक अवकाश आवेदन पत्र 03 दिवस (तीन दिवस) पूर्व, अर्जित अवकाश आवेदन पत्र नियमानुसार 21 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जावे एवं लघुकृत अवकाश आवेदन पत्र रोग से पीड़ित होने की दशा मे आवश्यक चिकित्सीय उपचार से संबधित दस्तावेज एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (प्रारूप–3) तथा कर्तव्य पर उपस्थित होने पर फिटनेस प्रमाण पत्र (प्रारूप–4) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे, जिसके संबध में पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी कारणों की परीक्षा करने के पश्चात् उचित टीप अंकित कर आवेदन–पत्र अग्रेषित करें।

उपरोक्त प्रक्रिया का पालन न करने पर कर्मचारी का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी।

सही/–
**(अतुल्य सराफ)**
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
बुरहानपुर, दिनांक 25/09/2021

पृष्ठांकन क्र. 1249/लेखा/21

**प्रतिलिपि :–**

1– प्रथम/द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
2– प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर
3– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बुरहानपुर
4– प्रथम व्यव. न्या., क.ख. बुरहानपुर के षष्ठम अति. न्याया.तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर,
5– प्रभारी अधिकारी, कार्यालय/तलवाना/फाईलिंग/अभिलेखागार/सी.एन.आर जनरेशन/डिजिटलाईजेशन अनुभाग/नजारत अनुभाग बुरहानपुर/नेपानगर
6– प्रस्तुतकार, न्यायालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर
7– प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/कार्यालय मोहर्रिर, बुरहानपुर
8– जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, बुरहानपुर

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

वास्ते– **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**बुरहानपुर (म.प्र.)**